न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 40/2024

मो. ईरफान बनाम मेहर बानो आदि

प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बाबत

उपस्थिति :

1. श्री कैलाश सोनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–आदेश–

दिनांकः– 15.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 26/2007 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2024 के विरूद्व धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत हुई है। रेस्पोडेंट ने धारा 96 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मूल दावा में अपीलांट पक्षकार नही हैं तथा निर्णय व डिक्री रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 17 ने मुगालते में विचारण न्यायालय को रखकर वास्तविकता से अवगत कराये बिना तथा झुठे तथ्य प्रदर्शित कर अपीलांट की पैतृक कब्जे काश्त की भूमियों के सम्बंध में कोल्युजिवली राजीनामा बाला–बाला प्रस्तुत कर डिक्री धोखे एवं कपट के आधार पर प्राप्त की है। जिस विक्रय पत्र के आधार पर मूल वादी के वादी इब्राहित एवं प्रतिवादीगण सिराज व अनवर विवादित भूमि नूर मोहम्मद से क्रय किया जाना बताया गया है। उक्त विक्रय पत्र समक्ष न्यायालय में चुनौतीग्रस्त है। जिसकी पूर्ण जानकारी रेस्पोडेंट को रही है। विक्रय पत्र की सबज्युडीस है तो उसके आधार पर उनकी खातेदारी का कोई महत्व नही है। विवादित भूमियों के पूर्व खुदकाश्त खातेदार गुलाब खां के चार पुत्र यासीन खां, हुसैन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खां, गन्नी खां, अयुब खां थे। जिनमें से यासीन खां नाऔलाद फौत हुआ। हुसैन खां के केवल एक पुत्री थी। अपीलांट इरफान उक्त सितारा का पुत्र है तथा सितारा का भी इन्तकाल हो चुका है अपीलांट नाना से विरासत में प्राप्त सम्पदा का विधिक अधिकारी है। विद्वान अधिवक्ता ने धारा 96 सीपीसी का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन वाद रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज इब्राहीम पुत्र मजीद खां द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 17 अनवर खां के खिलाफ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपीलाधीन वाद दायरी के दिन अपीलाधीन वाद का वादी इब्राहीम एवं प्रतिवादीगण संख्या सिराज व अनसार खां अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों के रिकार्डेड खातेदार थे परन्तु जमाबंदी में तीनों की हिस्सेदारी अंकित नहीं थी। अपीलाधीन वाद के विचारण के दौरान पक्षकारों के बीच में राजीनामा हो गया और राजीनामे के आधार पर अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमि की अपीलाधीन वाद के वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सेदारी तय किये जाने बाबत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। स्वीकृत रूप से प्रस्तुत अपील का अपीलांट अपीलाधीन वाद दायरी के दिन अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों का खातेदार या काश्तकार नहीं था न ही वह अपीलाधीन वाद में वर्णित विवाद बिन्दु के सम्बंध में हितबद्व अथवा आवश्यक पक्षकार था। अपीलांट द्वारा केवल इस एकमात्र आधार पर प्रस्तुत अपील पेश किए जाने निमित अनुमति चाही जा रही है कि उसके द्वारा अपीलाधीन वाद के वादी एंव प्रतिवादीगण के हक में वादग्रस्त भूमियों के सम्बंध में निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय पत्र न्यायालय में चुनौतीग्रस्त है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रस्तुत अपील के अपीलांट का वादग्रस्त भूमियों में कोई हक, हिस्सा है या नहीं इस बात के लिए अपीलांट सक्षम स्तर पर वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये अपीलांट का कोई तथाकथित हक, हिस्सा किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी अस्वीकार कर अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज इब्राहीम पुत्र मजीद खां द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 17 अनवर खां के खिलाफ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपीलाधीन वाद दायरी के दिन अपीलाधीन वाद का वादी इब्राहीम एवं प्रतिवादीगण संख्या सिराज व अनसार खां अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों के रिकार्डेड खातेदार थे परन्तु जमाबंदी में तीनों की हिस्सेदारी अंकित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नहीं थी। अपीलाधीन वाद के विचारण के दौरान पक्षकारों के बीच में राजीनामा हो गया और राजीनामे के आधार पर अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमि की अपीलाधीन वाद के वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सेदारी तय किये जाने बाबत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। स्वीकृत रूप से प्रस्तुत अपील का अपीलांट अपीलाधीन वाद दायरी के दिन अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों का खातेदार या काश्तकार नहीं था न ही वह अपीलाधीन वाद में वर्णित विवाद बिन्दु के सम्बंध में हितबद्व अथवा आवश्यक पक्षकार था। अपीलांट द्वारा केवल इस एकमात्र आधार पर प्रस्तुत अपील पेश किए जाने निमित अनुमति चाही जा रही है कि उसके द्वारा अपीलाधीन वाद के वादी एंव प्रतिवादीगण के हक में वादग्रस्त भूमियों के सम्बंध में निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय पत्र न्यायालय में चुनौतीग्रस्त है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रस्तुत अपील के अपीलांट का वादग्रस्त भूमियों में कोई हक, हिस्सा है या नहीं इस बात के लिए अपीलांट सक्षम स्तर पर वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये अपीलांट का कोई तथाकथित हक, हिस्सा किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर